संख्याः 2531/VIII/691–प्रशि0/2004

प्रेषक,

श्री दयाल सिंह नाथ,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तरांचल, हल्द्वानी ।

श्रम सेवायोजन प्रशिक्षण एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग देहरादून दिनांकः3/ दिसम्बर–04

विषयः वित्तीय वर्ष 2004–05 हेतु आयोजनागत पक्ष के मानक मद संख्या–26 मशीनें साजसज्जा/उपकरण और संयंत्र में प्राविधानित धनराशि से कटिंग टेलरिंग व्यवसाय की स्थानान्तरित चार यूनिटों की साजसज्जा/उपकरण के क्रय हेतु धनराशि का आंबटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या : 7821 /डीटीईयू/लेखा/ एनपीबी/2004 दिनांक 15,दिसम्बर–2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, डोईवाला, कालसी जनपद देहरादून तथा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महिला, हल्द्वानी में स्थानान्तरित कटिंग व टेलरिंग की चार यूनिटों को डी0जी0ई0टी0 भारत–सरकार से स्थायी सम्बन्धन कराये जाने हेतु मानकों के अनुसार क्रय किए जाने वाले साजसज्जा/उपकरणों (सूची संलग्न) हेतु आलोच्य वित्तीय वर्ष–2004–05 में रूपये 16,00,000/– (रूपये सोलह लाख मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

5. उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर स्वीकृत की जा रही है, कि उक्त मद में आबंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है, कि धनराशि का आंबटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहॉ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहॉ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा । व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय जारी शासनादेशों/ अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

NIC
947

6— व्यय करते समय स्टोर परचेज रूल्स, डीजीएसएण्डडी, की दरों एवं शर्तों, टेन्डर/कोटेशन आदि के विषयक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उपकरणों आदि का क्रय प्रत्येक ट्रेड के एन0सी0वी0टी0 के मानक के अनुसार ही क्रय कर स्थायी सम्बन्धन प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। यदि पुराने उपकरण प्रतिस्थापित किए जाने हैं, तो पुराने उपकरणों को नियमानुसार निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलाम कर अर्जित धनराशि राजकीय कोष में जमा कर शासन को सूचित किया जायेगा।

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31,मार्च–2005 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा, और यदि उक्त अवधि में उक्त धनराशि का उपयोग नहीं किया जाता है, तो सम्बन्धित आई0टी0आई0 के प्रभारी/इंचार्ज उत्तरदायी माने जायेंगे।

8— उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 हेतु अनुदान संख्या–16 मुख्य लेखाशीर्षक 2230–श्रम तथा रोजगार 03–प्रशिक्षण, आयोजनागत ,003–दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, 07–राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण आयोजनागत–00 के अन्तर्गत मानक मद संख्या–26–मशीनें साजसज्जा/उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।यह आंबटन निदेशक के अधीन समस्त कार्यालयों के लिए किया जा रहा है।

8— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : यूओ/2190/वि0अनु0–3/2004 दिनांक 28, दिसम्बर–2004 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय

(दयाल सिंह नाथ)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 2531(1)/ **VIII** / ~~700~~ 691-प्रशि0/ 2004, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1— महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2— सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी।
3— वित्त अनुभाग–3
4— श्री एल0एम0 पंत, अपर सचिव, वित्त बजट, उत्तरांचल शासन।
5— नियोजन–विभाग, उत्तरांचल शासन।
6— एन0आई0सी0, सचिवालय।
7— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 चौहान)
अनुसचिव।